न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
65 / 2022 प्रा.पत्र / 2022	20.07.2022	14.12.2023

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.............प्रार्थी

बनाम

1–श्री रिफत अख्तर पुत्र श्री सरताज अख्तर स्टोर मैनेजर मैसर्स फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (आधार सुपर मार्केट) प्लॉट नं. 02 / 78, अनवर विला हाउस, एपीआरआई के सामने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक जिला टोंक राज.। निवासी खलिलिया मस्जिद के पास छत्र खटीक का नाला काली पलटन टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड–304001
2–श्री मक्खन लाल पुत्र श्री सूणा राम नॉमिनी मैसर्स आधार हॉलसेल ट्रेडिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड 2290, 2291, ग्राम दहमीकलां, बगरू, जयपुर राज.। पिनकोड–302026
3–मैसर्स आधार हॉलसेल ट्रेडिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड 2290, 2291, ग्राम दहमीकलां, बगरू, जयपुर राज.। पिनकोड–302026
4–श्री मनमोहन जगदीश राठी पुत्र श्री जगदीश राठी नॉमिनी मैसर्स फ्यूचर कन्ज्यूमकर लिमिटेड केयर ऑफ कात्याल लोजिस्टिक पार्क ग्राम पोस्ट झुण्डपुर, सोनीपत हरियाणा। पिनकोड–131023 निवासी 601, वर्टिका–बी, कासा बेल्ला गोल्ड, पालावा सिटी, कल्याण शिल रोड, कल्याण, ठाणे, महाराष्ट्र। पिनकोड–421204
5–मैसर्स फ्यूचर कन्ज्यूमकर लिमिटेड लिमिटेड केयर ऑफ कात्याल लोजिस्टिक पार्क ग्राम पोस्ट झुण्डपुर, सोनीपत हरियाणा। पिनकोड–131023
6–श्री संजीव कुमार त्यागी पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार त्यागी नॉमिनी मैसर्स भारत ऑर्गेनिक्स एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, राय, सोनीपत, हरियाणा। पिनकोड– 131029 निवासी सी–56 / 1, लाल बाग, लोनी, देहात, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश। पिनकोड–201102
7–मैसर्स भारत ऑर्गेनिक्स एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, राय, सोनीपत, हरियाणा। पिनकोड–131029
.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii), (iv) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री रिफत अख्तर स्वयं उप.।

:–निर्णय–: **दिनांक 14.12.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2021 को समय 11:49 पीएम पर मैसर्स फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (आधार सुपर मार्केट) प्लॉट नं. 02 / 78, अनवर विला हाउस, एपीआरआई के सामने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री रिफत अख्तर पुत्र श्री सरताज अख्तर मिला, को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रिफत अख्तर ने स्वयं को प्रतिष्ठान का स्टोर मैनेजर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **गाय का घी एण्ड प्योर ब्राण्ड (Cow's Ghee Fresh & Pure Brand)** के 900–900 ग्राम के 25 नग मूल पैक रखेह हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री रिफत अख्तर को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रिफत अख्तर व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थं सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **गाय का घी एण्ड प्योर ब्राण्ड (Cow's Ghee Fresh & Pure Brand)** जिसके बैच नम्बर बीओएच–59/01 एवं पैकिंग की दिनांक 15.06.2021 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 900 ग्राम का 1 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गाय का घी एण्ड प्योर ब्राण्ड (Cow's Ghee Fresh & Pure Brand)** 900 ग्राम को प्लास्टिक की चार साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शिशी में 225–225 ग्राम भरकर अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2901 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2901 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री रिफत अख्तर पुत्र श्री सरताज अख्तर ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स आधार हॉलसेल ट्रेडिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड 2290, 2291, ग्राम दहमीकलां, बगरू, जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। मैसर्स आधार हॉलसेन ट्रेंडिग से आवेदक द्वारा सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स फ्यूचर कन्ज्यूमकर लिमिटेड केयर ऑफ कात्याल लोजिस्टिक पार्क ग्राम पोस्ट झुण्डपुर, सोनीपत हरियाणा का बिल पेश किया एवं मैसर्स फ्यूचर कन्ज्यूमकर लिमिटेड ने मैसर्स भारत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ऑर्गेनिक्स एण्ड डेयरी प्रोडक्ट्स एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रीयल ईस्टेट, राय, सोनीपत, हरियाणा का बिल पेश किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2021 / 3222 दिनांक 18.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस. / 1311 / एक्ट / 2021 / 1435 दिनांक 12.11.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **गाय का घी एण्ड प्योर ब्राण्ड (Cow's Ghee Fresh & Pure Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी श्री रिफत अख्तर स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति के साथ प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **गाय का घी एण्ड प्योर ब्राण्ड (Cow's Ghee Fresh & Pure Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **गाय का घी एण्ड प्योर ब्राण्ड (Cow's Ghee Fresh & Pure Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 70,000 / – (अक्षरे सत्तर हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.12.2023 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0